भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 661
08 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी निर्धारित करने के लिए उत्पादन लागत घटक

661. श्री जावेद अली खान:
श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022 और 2023 के दौरान प्रति क्विंटल गेहूँ और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने के लिए कीमत और वजन के साथ उत्पादन लागत के घटक का ब्यौरा क्या है;
(ख) गेहूँ और धान के किसानों द्वारा वहन की जाने वाली वास्तविक उत्पादन लागत का पता लगाने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई गई है;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न फसलों के एमएसपी निर्धारित करनेके लिए विचार की जाने वाली उत्पादन लागत वास्तविक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि एक गैर-लाभकारी व्यवसाय बन रहा है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदमउठाए जाने हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के उपरांत गेहूं और धान सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी, समग्र मांग आपूर्ति की स्थितियां, उत्पादन लागत, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि एवं गैर-कृषि शेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ पर विचार करता है।

उत्पादन लागत एमएसपी के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है और इसका अनुमान समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित पद्धति पर आधारित होता है। सीएसीपी, वास्तविक भुगतान लागत की गई लागतों (जिसमें मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, उर्वरक और खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, विविध लागतें जैसे फसल बीमा प्रीमियम, उपकरणों का किराया शुल्क, बिजली आदि, उत्पादन में खर्च की गई कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, भू-राजस्व, उपकरणों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास); पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य और समग्र आदान मूल्य सूचकांक (सीआईपीआई) शामिल है, के आधार पर आगामी विपणन मौसम के लिए लागत का आकलन करता है। । सीआईपीआई, श्रम ब्यूरो, राज्य सरकारों, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई), भारतीय पटसन निगम, नारियल विकास बोर्ड, भारतीय चीनी मिल संघ, भारतीय कपास निगम, किसान संघ, किसान/किसान प्रतिनिधि आदि से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रमुख आदानों के नवीनतम वास्तविक मूल्य रुझानों पर आधारित होते हैं।

सरकार ने 2018-19 के अपने केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है।

*****